

न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0
पीठासीन अधिकारी :- सुरेश कुमार बलाई (R.A.S.)

दावा संख्या
110/2022

रजू दिनांक
22.06.2022
उनवान

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
23.04.2025

1. औमप्रकाश पुत्र श्री उमराव
2. राधेश्याम पुत्र श्री उमराव जातियान मेघवाल निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र श्री उमराव
2. मोनू पुत्र श्री जयसिंह
3. दिपाशू पुत्र श्री जयसिंह जातियान मेघवाल निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. चेताराम पुत्र श्री देशराम जाति जाटव निवासी पतलीया तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
5. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण


दावा 53 व 188 राज0 कास्त0 अधि0

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री अनिल यादव एडवोकट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 23.04.2025 को श्री सुरेश कुमार बलाई, सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है:-

“ तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा पेश कुरेजात प्रस्ताव पर वादी व प्रतिवादी वकील की आपसी सहमति जाहीर करने पर वादी का वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया जाकर वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा राज0 में स्थित भूमि आराजी हाल 1566 रकबा 2.64 है0 अनुसार वादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव प्रदर्श “अ” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल, तरमीम करावे। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करे।”

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सुरेश कुमार बलाई) (खैरथल-तिजारा)
सहायक कलक्टर,
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0